43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1550–एक/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2008 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल – प्रकरण क्रमांक 19 अ–55/ 2007–08 अपील

शिवदयाल पुत्र स्व.समलू सिंह
ग्राम करंजिया तहसील डिंडोरी
जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्यामलाल पुत्र मंगल राम पनिका
निवासी टरकन टोला जिला डिंडोरी
2– म0प्र0शासन व्दारा कमिश्नर
शहडौल संभाग, शहडौल
3– कलेक्टर जिला डिंडोरी
4– अनुविभागीय अधिकारी डिंडोरी ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री जादौन)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरारी अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक —— 19 अ–55/ 2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–7–2008 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम करंजिया के पटैल की मृत्यु से पटैल पर रिक्त हुआ, जिसकी पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी के समक्ष आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 ने आवेदन प्रस्तुत किये, जिस पर से पटैल पद की पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी ने प्रकरण कमांक 11 अ-55 /2004-05 पॅजीबद्ध किया एंव वाद जॉच , सुनवाई कर आदेश दिनांक 14-2-2008 पारित करके शिवदयाल पुत्र समलू सिंह को पटैल पद पर नियुक्ति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध श्यामलाल पुत्र मंगलराम ने कलेक्टर डिण्डोरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । कलेक्टर डिण्डेारी ने प्रकरण कमांक 40 अ-55/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 15-7-2008 से अपील स्वीकार की एंव श्यामलाल पुत्र मंगलराम को पटैल पद पर नियुक्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण कमांक 19 अ-55/ 2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2008 से अपील अमान्य की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिक कमांक 10594/2008 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15-9-2008 से आवेदक को हिदायत किया कि वह राजस्व मण्डल के समक्ष दो सप्ताह में निगरानी प्रस्तुत करे। इसी कम में यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के एंव शासन पक्ष के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक बार-बार सूचना भेजने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पेनल लायर

के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि यह सही है कि ग्राम करंजिया के पटैल की मृत्यु पर पटैल पर रिक्त हुआ, जिसकी पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी के समक्ष आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 ने आवेदन प्रस्तुत किये तथा अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी ने प्रकरण कमांक 11 अ-55/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 14-2-2008 से शिवदयाल पुत्र समलू सिंह को पटैल पर नियुक्ति प्रदान की है, किन्तु जब अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी व्दारा पटैल पद की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही का कलेक्टर डिण्डोरी ने परीक्षण किया है - परीक्षण पर पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी ने पूर्व पारित आदेश दिनांक 15-9-2007 से शिवदयाल की पटैल पर पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसे कलेक्टर डिण्डोरी ने प्रकरण कमांक 4 अ-55/06-07 में पारित आदेश दिनांक 17-9-07 से निरस्त करके प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि पटैल पद की पूर्ति हेतु पुनः विधिवत् उदघोषणा का जारी की जाये और विधिवत् कार्यवाही करते हुये पटैल पद की पूर्ति की जावे। जब अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः पटैल पद की पूर्ति वावत् कार्यवाही की, अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के परीक्षण पर स्थिति यह है कि दोनों उम्मीवार चाल-चलन में सही है और दोनों उम्मीदवार कृषक हैं। शिवदयाल आठवीं परीक्षा पास है जबकि श्यामलाल हायर सैकेन्ड्री परीक्षा पास है। हालॉकि संहिता की धारा 222 के अंतर्गत पटैली नियमों में आयु सीमा का बन्धन नहीं है , परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने श्यामलाल को अधिक आयु का होने का करार देते हुये पटैल पर के निर्योग्य मानकर अपात्र मानने में भूल की थी , जिसके कारण कलेक्टर

डिण्डोरी ने अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये श्यामलाल को पटैल पद पर नियुक्ति प्रदान का निर्णय लेने में त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 19 अ-55/ 2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2008 से कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक प्र0क0 19 अ-55/ 2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2008 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर